

28-8-17 -

वकूलायै फरीकेन उपस्थित।
वकीलां ने कार्य स्थगित कर रखा
है। अतः पत्रावली दि. 22-9-17
को पेश हो।

22/9/18 पत्रावली पेश। सावित्र आड्रेस/गुहाट
12/10/18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

12/10/17

वकूलायै फरीकेन उपस्थित।
वकीलां ने कार्य स्थगित कर रखा
है। अतः पत्रावली दि. 6/11/17
को पेश हो।

6-12-17 पत्रावली पेश। सावित्र आड्रेस/गुहाट
दि. 30/1/18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

23/1/18

पत्रावली नियत दिनांक 30/1/18 से वकूलायै
शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से आज
दिनांक को तलब की गई। प्रार्थना पत्र अर्पण कर दिए
अधिवक्ता श्री वज्रेश लाल शर्मा न्यायालय में
समक्ष उप-होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया
जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि
वादी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र 212 RT Act
को अंगे नहीं चलाना चाहते हैं, प्रार्थना पत्र में कोई
अनुलोम नहीं चाहते, पक्षकारान के मध्य विवाद
समाप्त हो गया है अतः प्रार्थना पत्र 212 खारिज
किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन से प्रार्थना पत्र
बाबत 212 RT Act खारिज स्वीकार किया गया तथा
संगत है अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act खारिज किया
जाता है पत्रावली फंसल शुभाह होकर, 6/1/18 पेश हो

वकूलायै
वकीलां
सहायक

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)